न्यायालय,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया।
<u>जमानत आवेदन संख्या–718/2026</u>

सारो देवी, उम्र–72 वर्ष, पति–हरि गिलास तुरी उर्फ हरगिलास तुरी
निवासी ग्राम–तेलनी, थाना–गुरपा, जिला–गया जी

––––अभियुक्त

बनाम

बिहार सरकार––––––––––––––––––––––––––––––––––––अभियोजन पक्ष

आदेश

02.05.2026 काराधीन आवेदिका/अभियुक्त सारो देवी जो गुरपाथाना कांड संख्या–29/2026 अन्तर्गत धारा–324(4),326(जी),303(2),3(5) बी0एन0एस0में दिनांक–26.03.2026 से काराधीन है। प्रस्तुत जमानत आवेदन पर उभयपक्ष को सुना। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष हैं और इन्होंनें कोई अपराध नहीं किया है। उसे इस काण्ड में झूॅठा फॅसाया गया है। वह निर्दोष है। आवेदक इस काण्ड में दिनांक–26.03.2026 से कारा में है। आवेदक बंधपत्र एवं प्रतिभूति देने को तैयार है। वह विचारण न्यायालय के समक्ष हमेशा उपस्थित रहेगा। अतः उसके जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

बिहार सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध किया इसलिए उन्हें जमानत नहीं दिया जाय।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका पर आरोप है कि इन्होंने दिनांक–19.03.2026 को अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर आवेदिका के कर्कट घर को तोड़ दिया और बाहर लगे चपाकल के बोरिंग में ईंट–पत्थर भर दिये जिसके बाद घर में रखे सामान में आग लगा दिये एवं बक्सा में रेख आभूषण को भी चोरी कर लिये। जब सूचिका को इस बात की टेलिफोन के माध्यम से सूचना मिली तो इस घटना को उसने सही पाया। विवाद का मुख्य कारण इनके ससुर द्वारिका तुरी और इनके बड़े भाई हरिविलास तुरी साझा में रहकर 10 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करवाया। किन्तु वह विक्रय पत्र हिरिगिलास तुरी के नाम से निष्पादन किया गया। इस जमीन को लेकर विवाद घटित हुआ। कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है

कंडिका–4 में घटनास्थल से निरीक्षण के दौरान कोई वस्तु बरामद होने की बात अनुसंधनकर्ता ने घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान नहीं कही है। आवेदिका ने कहा कि कथित घटना का एक वीडिया बनाया गया है जिसका एस0आई0डी0 नं0–1704163241383310 है। साक्षी रीना देवी, सरोज देवी, रामप्रवेश मांझी इत्यादी ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका 32 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुछ जले हुये अवशेष को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। किन्तु इसका जांच रिपोर्ट अभी न्यायालय को प्राप्त नहीं हुआ है। स्वतंत्र साक्षी–तुलसी तुरिया, नाथो तुरिया, चंपा देवी एवं सोनिया देवी ने घटना का समर्थन किया है। आवेदिका सारो देवी 72 वर्ष बुढ़ी महिला हैं।आवेदिका/अभियुक्त दिनांक–26.03.2026 से काराधीन है। उभय पक्षों में जमीन संबंधी विवाद है।

इसलिये अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, साक्षयों, आयु एवं काराधीन अवधि पर विचार करने के पश्चात आवेदक अभियुक्त को 10,000/रूपये के बंधपत्र एवं सामान राशि के दो प्रतिभूति देने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है, तद्नुसार आवेदक के जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित
Sd/-
राजेश सिंह
प्रभारी प्रधानजिला एवं सत्र न्यायाधीश
गया

<u>प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया</u>

Memo no.......................Dated....................

Copy forwarded to the.., for information and needful.

(**Rajesh Singh**)

I/cPrinciple District & Session Judge

Gaya